15-2-97

~~[illegible]~~

नगर-पालिका परिषद, जौनपुर - बोर्ड की बैठक दिनांक 15-2-97 (दिन शनिवार) पूर्वान्ह 11.00 बजे टाउन हाल पर हुयी, में उपस्थित माननीय सभासद के नाम निम्न प्रकार हैं।

1	श्रीमती संध्यारानी श्रीवास्तव	अध्यक्ष,
2	श्रीमती दलगीरा	सदस्य
3	श्री जगदीशकुमार खेतका	"
4	" संजयकुमार मौर्य	"
5	श्रीमती दलवन्ती	"
6	श्री श्यामबिहारी सेठ	"
7	श्रीमती चम्पादेवी चौरसिया	"
8	श्री राकेशकुमार यादव	"
9	श्रीमती इन्द्रा देवी	"
10	श्री कल्लू यादव	"
11	श्रीमती मेहरुन्निसा	"
12	श्री गुलाबचन्द्र	"
13	श्री अतुलकुमार सिंह "मुन्ना"	"
14	श्रीमती निर्मला देवी	"
15	" शर्मिला देवी	"
16	श्री जितेन्द्रकुमार चौरसिया	"
17	" वकील अहमद अंसारी	"
18	" मो0 जावेद खां	"
19	श्रीमती मीरा देवी साहू	"
20	श्री प्रमोदकुमार गुप्त	"
21	" गुलाबचन्द्र शाह	"
22	" रमजान खाँ	"
23	" राजकेशर सिंह	सांसद पदेन सदस्य

[signature]	[signature]
(विजयकुमार)	(संध्यारानी श्रीवास्तव)
अधिशासी-अधिकारी,	अध्यक्ष,
नगपा0 परिषद जौनपुर	नगर-पालिका परिषद जौनपुर
15-2-97	15-2-97

Scanned with OKEN Scanner

15-2-97
~~27-12-96~~

आज दिनांक 15-2-97 को परिषद की बैठक, दिन के 11.00 बजे पालिका अध्यक्षा श्रीमती इन्दुरानी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शुरू हुयी। मा० अध्यक्षा ने सदन में उपस्थित सभी मान्य सभासद को नये वर्ष 1997 की इस प्रथम बैठक के आगमन पर नये वर्ष की बधाई देते हुये उनका स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुये परिषद लिपिक को कार्यवाही शुरू करने हेतु निर्देशित किया।

1 पिछली बैठक की कार्यवाही दिनांक 27.12.96 वास्ते पुष्टि।	पढ़ी गयी एवं सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

इसी बीच बैठक में माननीय सांसद जौनपुर का आगमन हुआ। मा० श्री राजकेशर सिंह जी, सांसद जौनपुर के परिषद की नये वर्ष 1997 की प्रथम बैठक में आगमन पर मा० अध्यक्षा जी ने अपनी ओर से तथा मान्य सभासदों की ओर से उनका सादर अभिनन्दन एवं स्वागत किया। इसी क्रम में मान्य सभासद श्री जगदीश-कृष्ण सोनकर तथा अन्य मान्य सभासद श्री वकील अहमद मेंहदी ने भी अपने को तथा बोर्ड को सौभाग्य पूर्ण बताते हुये सदन में आये हुये मा० सांसद जी का अपनी ओर से तथा मान्य सभासद की ओर से हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत किया और मा० सांसद जी से निवेदन किया कि यह नगर आपका है, अतएव जौनपुर नगर वासियों के दुःख दर्द को समझते हुये जनहित में नगर की जनता के सुविधा हेतु, दैनिक पेयजल समस्या के निदान हेतु, हैण्ड पम्प लगवाये जाने हेतु सांसद निधि से धन दिये जाने की माँग किया। इस पर मा० सांसद जी ने सदन में उपस्थित मान्य सभासदों को मा० अध्यक्षा को तथा पालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि "आप लोगों के

15-2-97
~~27.12.96~~

उक्त सुझाव का मैं समर्थन करता हूँ और अपने नगर के शुद्ध पेयजल मुहैया कराने हेतु नगर में और अधिक से अधिक हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु मैं अपने सांसद निधि से अधिक से अधिक धन दूँगा, वैसे मैं व्यक्तिगत जाकर और भी धन शासन से दिलाये जाने का प्रयास करूँगा।

2. ज्येष्ठ / कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के चुनाव हेतु विशेष प्रस्ताव पर चर्चा एवं विचार।

प्रस्ताव संख्या 2 परिषद लिपिक द्वारा पढ़ा गया। यह प्रस्ताव परिषद के ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के चुनाव हेतु था, इस प्रस्ताव पर श्री वकील अहमद अंसारी, माननीय सभासद ने कहा कि मैं मा0 अध्यक्ष जी का ध्यान शासनादेश संख्या 259/9-1-97 दिनांक 15.1.97 की ओर आकर्षित करते हुये यह कहना चाहूँगा कि राजाज्ञा जारी होने के एक माह के भीतर चुनाव कराये जाने का निर्देश है - इस प्रकार अब चूँकि एक माह से अधिक समय बीत गया है, ऐसी दशा में अब चुनाव नहीं होना चाहिये, ऐसी दशा में पुनः शासन को लिखकर अथवा जिलाधिकारी को लिखकर उसका समय बढ़ाने हेतु माँग की जाय इस पर माननीय सभासद श्री जगदीश कुमार चौरसिया ने कहा कि यद्यपि यह राजाज्ञा शासन द्वारा दिनांक 15.1.97 को निर्गत तो किया गया है किन्तु यह जिलाधिकारी जौनपुर के कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 54/एल0बी0सी0 दिनांक 27.1.97 से इस कार्यालय में दिनांक 28.1.97 को प्राप्त हुआ है, ऐसी दशा में मेरा अपना विवेक व सुझाव है कि उक्त चुनाव हेतु अभी समय है जो 27.2.97 तक कराया जा सकता है

Scanned with OKEN Scanner

15-2-97
~~27-12-96~~

उन्होंने यह भी कहा कि अपना अधिकार किसी दूसरे को देना अच्छा नहीं है। मैंने कई मामले में देखा है, जैसे कि परियोजना निदेशक, इस पालिका के अधिशासी-अधिकारी को, जिसमें कलक्ट्रेट के अधिकारी हस्तक्षेप करके अधिशासी-अधिकारी के परियोजना निदेशक के अधिकार से वंचित करते हुये उनसे न कराकर किसी अन्य अधिकारियों से अब कराया जाता है, यह हमलोगों के लिये शर्म की बात है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि बार-बार किसी मामले को न उलझाया जाय, वैसे इस मसले पर ज्यादा बात करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा अपना मत है कि उक्त राजाज्ञा के तहत चुनाव हो जो अधिक अच्छा होगा, इस मामले में काफी चर्चायें हुयीं और इस पर मा० सांसद जी को उनका अपना सुझाव देते हुए उन्होंने कहा, जिस पर मान्य सभासद राजी हुये। मा० सांसद जी ने कहा कि मेरा अपना विचार है कि आपलोग इस मसले को आपस में तय कर लें तो अधिक अच्छा होगा, वैसे नियम कानून की जहाँ तक बात है, इस पर पालिका अधिवक्ता की भी राय ली जा सकती है, जिसमें समय लगेगा। मेरे विचार से अधिक उपयुक्त होगा कि घन्टे दो घन्टे के लिये बैठक को स्थगित करके या तो इस पर कानूनी परामर्श ले लिया जाय या आपस में समझ लिया जाय। इस पर श्री वकील अहमद मन्सूरी, मान्य सभासद ने कहा कि

Scanned with OKEN Scanner

मा० सांसद जी हमारे बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा दिया गया सुझाव अनिवार्य अच्छा है, जिसका मैं कद्र करता हूँ, लेकिन इस चुनाव के मामले में मैं तो यही कहूँगा कि पालिका के किसी विधिक अधिवक्ता से राय अवश्य ले ली जाय और जब तक स्पष्ट न हो जाय, तब तक चुनाव नहीं होगा, इसकी पुष्टि सर्वश्री रमजानखाँ, श्री जितेन्द्र कुमार चौरसिया, श्री मो० जावेद खाँ, श्रीमती महरूननिशा ने किया इस मसले को लेकर सदन में काफी गहमीगहमी हुयी, जिससे मा० अध्यक्ष जी को एक घन्टे के लिये बैठक को लंच के उद्देश्य से स्थगित करना पड़ा।

पुनः एक घन्टे के उपरान्त बैठक मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से - आरंभ हुयी। उक्त प्रकरण को पुनः गम्भीरता से लेते हुए मान्य सभासद श्री वकील अहमद मंसूरी व उनके सहयोगी अन्य सभासद श्री रमजानखाँ, श्री जितेन्द्र कुमार चौरसिया, श्री मो० जावेद खाँ ने कहा कि राजाज्ञा दिनांक १५-१.९७ को जारी हुआ और उस तिथि से एक माह के अन्दर चुनाव कराना था और अब एक माह का समय समाप्त हो चुका है, ऐसी दशा में चुनाव नहीं हो सकता हाँ यदि चुनाव कराना है तो हमलोगों को लिखित रूप से दिया जाय, इस पर श्री विजयकुमार अधिशासी- अधिकारी ने बताया कि यदि राजाज्ञा निर्गत होने की तिथि १५.१.९७ के एक माह के बाद प्राप्त हुआ होता तो क्या चुनाव नहीं होता? चुनाव होता जबकि उपरोक्त राजाज्ञा १५-१.९७ को जारी हुआ जो -

Scanned with OKEN Scanner

15-2-97

जिलाधिकारी कार्यालय के पृष्ठांकन सं०/ एस०डी०सी० दिनांक 27.1.97 द्वारा इस पालिका में 28.1.97 को प्राप्त हुआ है तो इस प्रकार से अभी समय है, इस पर पुनः उक्त मान्य सभासद श्री वकील अहमद मंसूरी व उनके सहयोगी सभासद ने जोर जोर से हल्ला शुरू किया और चुनाव कराने में विघ्न डालने लगे तभी मा० अध्यक्ष ने अपनी सूझ-बूझ एवं स्व विवेक से सदन में उपस्थित मान्य सभासदों को शान्त करते हुये शासनादेश के बारे में स्पष्ट जानकारी देते हुये कहा कि राजाज्ञा में यह कहीं नहीं लिखा है कि " आदेश निर्गत होने अथवा प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर उपाध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाय " यद्यपि यह राजाज्ञा इस कार्यालय में दिनांक 28.1.97 को जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है और इसमें चुनाव अधिकारी पालिका अध्यक्ष (मुझे) नामित किया गया है, ऐसी दशा में मैं पालिका अध्यक्ष / चुनाव अधिकारी की हैसियत से स्व-विवेक, निर्णय देती हूँ कि यह चुनाव होगा, इस पर मान्य सभासद श्री जगदीशकुमार सोनकर ने श्री श्याम बिहारी सेठ, को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के चुनाव हेतु नाम प्रस्तावित किया जिसका समर्थन करते हुए सदन में उपस्थित 22 सदस्यों में से कुल 15 सदस्य सर्वश्री प्रमोदकुमार गुप्ता, संजयकुमार मौर्य, गुलाबचन्द्र शाह, जगदीशकुमार सोनकर, कल्लू यादव, अतुल कुमार सिंह "गुड्डा" श्यामबिहारी सेठ, राकेशकुमार यादव, निर्मला देवी गुप्ता

श्रीमती दयावन्ती, श्रीमती दलजीत, श्रीमती मीरा साहू, श्रीमती चन्दा देवी चौरसिया, श्रीमती इन्द्रा देवी साहू ने ध्वनि मत से बहुमत से स्वीकार किया, जबकि इससे पूर्व ही माननीय सांसद जी ने उक्त श्री श्याम-बिहारी सेठ को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु अपनी लिखित सहमति देकर सदन से चले गये थे, इसी प्रकार कनिष्ठ-उपाध्यक्ष पद हेतु श्री संजयकुमार मौर्य के नाम का प्रस्ताव श्री प्रमोदकुमार गुप्त, ने रखा, जिसे उक्त 15 मान्य सभासद ने उपरोक्तानुसार समर्थन करते हुए ध्वनिमत से बहुमत से स्वीकार किया, जबकि अन्य 7 सभासद सर्वश्री वकील अहमद मंसूरी, रमजान खाँ, जितेन्द्रकुमार चौरसिया, श्री गुलाब चन्द्र, श्रीमती महरुन्निशा, श्रीमती उर्मिलादेवी जो अल्पमत में थे, ने 'हो हल्ला'* मचाकर बैठक में विघ्न डालने का प्रयास किया और उनके द्वारा उक्त पद हेतु कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया गया था, किन्तु मा०-अध्यक्ष ने अपने स्वविवेक व सूझबूझ से उक्त शासनादेश के अनुपालन में उक्त प्रस्तावित नाम श्री श्याम बिहारी सेठ, को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु तथा श्री संजयकुमार मौर्य को कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु बहुमत से चुने जाने पर निर्वाचित होने की घोषणा किया और तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुयी।

* दिनांक 18-3-17 की बैठक में पुष्टि के दौरान "हो हल्ला" शब्द निकाले जाने पर सहमति पायी गयी।

(हस्ताक्षर) अध्यक्ष

(हस्ताक्षर) EO

(हस्ताक्षर)
(विजयकुमार)
अधिशासी-अधिकारी,
15-2-17

सत्यवती श्रीवास्तव
(सत्यवती श्रीवास्तव)
अध्यक्ष.
15-2-17

नगर-पालिका परिषद,
जौनपुर